

श्री धर्मपाल पुत्र श्री बुधसिंह जाति खत्री, निवासी-वार्ड निवासी-वार्ड नम्बर 24,
ग्राम-जिलोता, तहसील-किशनगढ़ बास, जिला-अलवर।प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये उपपंजीयक खेरथल, जिला अलवर।
2. बिहारीलाल पुत्र श्री रूडा, निवासी-वार्ड नम्बर 24, जिलौता, खैरथल,
तहसील-किशनगढ़ बास, जिला-अजमेर। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री कवर दानिश

अभिभाषक

श्री आर.के.अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक

नाम तर्क किया गया

....प्रार्थी की ओर से

....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

....अप्रार्थी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त अलवर, अलवर (जिसे आगे 'कलक्टर' कहा गया है) के आदेश दिनांक 09.04.2015 प्रकरण संख्या 476/2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप-पंजीयक खेरथल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कृषि आराजी वाके-ग्राम खेरथल तहसील किशनगढ़-बास, जिला-अलवर की कृषि आराजी के तीन खसरा नम्बर 3435, रकबा 0.3000 हैक्टेयर यानि 30 एयर को प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 2 से क्रय किया था। जिसका विक्रय पंजीयन दस्तावेज को पंजीयन कराने हेतु दिनांक 12.06.2014 का कार्यालय उपपंजीयक महोदय खेरथल जिला अलवर में प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेजात को उपपंजीयक महोदय खेरथल जिला अलवर द्वारा दिनांक 12.06.2014 को ही पंजीबद्ध कर प्रार्थी को लौटा दिया था। तत्पश्चात् श्रीमान् उपमहानिरीक्षक अलवर के निरीक्षण दल द्वारा उक्त दस्तावेजात को कमी मालियत का मानते हुए अप्रार्थी सं 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स बना प्रस्तुत किया गया जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्राथी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते

21-

लगातार.....2

हुए उक्त रेफरेन्स यथावत स्वीकार करते हुए दस्तावेज की मालियत 10405200/-रु. पर कमी मुद्रांक 405060/- रु. सरचार्ज शुल्क 40510/- रु कमी पंजीयन शुल्क 26960/- रु. शास्ति 118140/- रु. एवं ब्याज 46940/- रु. कुल 637610/- रु. वसूल करने के आदेश दिनांक 09.04.2015 को आदेश पारित किया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी क्रेता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 2 का नाम प्रार्थी के अभिभाषक के निवेदन पर तर्क किया गया क्योंकि मुद्रांक कर की देय का दायित्व प्रार्थी का है तथा इस संबंध में प्रार्थी का अनुतोष राज्य पक्ष के विरुद्ध है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। केवल मात्र कार्यालय उपपंजीयक खैरथल जिला अलवर द्वारा भेजे गये मांग नोटिस क्रमांक/2015/88-89 दिनांक 21.05.2015 जो कि प्रार्थी को दिनांक 15.05.15 का प्राप्त हुआ है, से प्रार्थी को निर्णय की जानकारी हुई है। प्रार्थी द्वारा क्रय कृषि भूमि का बरवक्त दस्तावेजात का निष्पादन के समय उपयोग कृषि था व आज भी कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग उपभोग में ली जा रही है व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में भी भूमि आराजी अंकित किया गया है, जो प्रार्थी द्वारा खसरा सं 3445 की गिरदावरी प्रस्तुत की जा रही है उसमें भी प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही है। प्लॉटिंग का गलत आधार अंकित किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दस्तावेज विधिवत एवं नियमानुसार धारा 54 मुद्रांक अधिनियम की पालना करते हुए दस्तावेज पंजीबद्ध करते हुए लौटा दिया गया, उसके पश्चात् रेफरेन्स अविधिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच की है व न ही अपने निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने या स्वीकार नहीं करने के संबंध में कोई कारण या निष्कर्ष दिया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। मौके पर प्लाटिंग होने के कारण कृषि

शर-

भूमि की तीन गुणा दर से मूल्यांकन किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

8. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि मौके पर भूमि की प्लॉटिंग हो रही है। सड़क के पास है। अतः सड़क के पास की आवासीय दर से गणना की जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 09.04.15 द्वारा यह कहते हुए कि प्रार्थी क्रेता को प्रकरण की जानकारी होने के पश्चात् भी उपस्थित नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि वे न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रखना चाहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण या विवेचना नहीं की है व न ही इस संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच की गई है।

9. निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न तो रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच की है व न ही अपने निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने या स्वीकार नहीं करने के संबंध में कोई कारण या निष्कर्ष दिया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड है। प्रार्थी द्वारा क्रय कृषि भूमि का बरवक्त दस्तावेजात का निष्पादन के समय उपयोग कृषि था व आज भी कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग उपभोग में ली जा रही है व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में भी भूमि आराजी अंकित किया गया है, जो प्रार्थी द्वारा खसरा सं 3445 की गिरदावरी प्रस्तुत की जा रही है उसमें भी प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा कृषि भूमि का उपयोग कृषि ही है। प्लॉटिंग का गलत आधार अंकित किया गया है।

कलक्टर (मुद्रांक) अलवर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर

आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश/निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतनमस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किये गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :-

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case is discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally ceases. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent. Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना-विश्लेषण सहित निर्णय पारित नहीं करने के कारण विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.07.2017 को पेश हों।

12. निर्णय सुनाया गया।

(^{सुधीर}
निधीराम)
सदस्य